



निविदा फार्म-विपणन अनुभाग (तकनीकी बोली)



फार्म संख्या—

निविदा प्रपत्र मूल्य:— ₹ 1000.00 (एक हजार)(समस्त कर सहित)

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) संस्था वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ-साफ अंकित करें।)

- मार्ग का नाम/वाहन संख्या :-
- निविदादाता का नाम :-
- आधार कार्ड संख्या —(छायाप्रति संलग्न करें)
- पिता/पति का नाम :-
- स्थायी पता (अनिवार्य):-
- पत्र व्यवहार का पता (अनिवार्य) :-
- दूरभाष संख्या (अनिवार्य):- :-
- जमा अर्नेस्ट मनी विवरण-बैंक का नाम
ड्राफ्ट संख्या धनराशि दिनांक
नकद जमा धनराशि—..... रसीद संख्या दिनांक
- निविदादाता को निविदा फार्म के साथ आई०डी०प्रूफ के रूप में (डी०एल०/आधार कार्ड आदि) में से किसी एक की छायाप्रति संलग्न करें।
- अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)-----
- एफ.एस.एस.ए.आई. में रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)-----
- जी०एस०टी० में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)-----
(संलग्नक-आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त।)

स्वहस्ताक्षरित
फोटो चस्पा करें

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

पूरा नाम:-

पता :-

मोबाईल नम्बर-----



फार्म संख्या—

निविदा फार्म—विपणन अनुभाग (वित्तिय बोली)



ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) संस्था वाहन हेतु

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ—साफ अंकित करें।)

1. मार्ग का नाम/वाहन संख्या :-
2. निविदादाता का नाम :-
4. पिता/पति का नाम :-
5. स्थायी पता (अनिवार्य):-
6. (अ)संस्था वाहन के किराये की दरें दूध प्रति लीटर कमीशन (अंको व शब्दों में):-
 अंकों में :- ₹..... शब्दों में :-
- (ब)संस्था वाहन के किराये की दरें प्रति किमी (अंको व शब्दों में):-
 अंकों में :- ₹..... शब्दों में :-

संलग्नक—आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

पूरा नाम:-

पता :-

मोबाईल नम्बर—.....

आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्त व विवरण चार्ट

क्र.सं.	मार्ग का नाम	पाली	वाहन का प्रकार	न्यूनतम वाहन क्षमता (टन में)	मार्ग में दुग्ध बिक्री प्रतिदिन (ली० में)	जमानत धनराशि (Rs)	अधिकतम दुग्ध कमीशन दर प्रति लीटर (Rs)
1	रुद्रपुर लोकल-01	प्रातः व साय	मूवेबल मिल्क वैडिंग मशीन	0.565	500-600	50,000	2.00
2	बाजपुर लोकल	प्रातः व साय	मूवेबल मिल्क वैडिंग मशीन	0.565	500-600	50,000	2.00

विपणन मार्ग का अनुमानित रोडमैप

क्र.सं.	मार्ग का नाम	विपणन मार्ग का अनुमानित रोडमैप
1	रुद्रपुर लोकल-प्रथम	अवशीतन केन्द्र से गल्ला मण्डी, मेन मार्केट, डीडी चौक, पी०ए०सी०, दरियानगर, खेडा, रम्पुरा, लोक बिहार, कोतवाली, विकास भवन, पुलिस लाईन, आवास विकास, वसुन्धरा ग्रीन, लोहिया नगर, गोबिन्द बिहार, आनन्द बिहार, मैत्री बिहार, बालाजी पुरम, नन्द बिहार, कौशल्या, लालपुर, दिनेशपुर से वापस दुग्ध अवशीतन केन्द्र रुद्रपुर।
2	बाजपुर लोकल	अवशीतन केन्द्र बाजपुर दोराहा से महेशपुरा, बिजली घर, बाजपुर लोकल, चकरपुर, बंगाली डाक्टर कालौनी, फैक्ट्री रोड, चुना भट्टी, सैन्टमैरी हॉस्पिटल, मुढियाकला, मुढियापिस्तौर, आलापुर, बेरिया रोड, मझराप्रभू, रामराज रोड, पहाडी कालौनी, संजय कालौनी, सुभाषनगर, सुगर फैक्ट्री, सूध कालौनी से वापस बाजपुर दोराहा।

- उपरोक्त रोडमैप अनुमानित है जो संस्था की आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया या बदला जा सकता है। संस्था द्वारा संस्था हित में लिया गया निर्णय निविदादाता को मान्य होगा।
- निविदादाता को कैश कलेक्सन प्रति हजार पर ₹3.00 (तीन) दैनिक जमा की गयी धनराशि पर देय होगा।
- निविदादाता को पैकड दूध एवं दुग्ध उत्पाद कमीशन एजेंट दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- निविदादाता द्वारा संस्था के वाहन में ऑचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य कोई सामान का ढुलान नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता के नाम भेजे जाने वाले दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की कीमत की वसूली का कार्य निविदादाता द्वारा किया जायेगा। ड्राईवर एवं लोडर की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। बिक्री किए गये दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की धनराशि की शत-प्रतिशत वसूली का दायित्व निविदादाता (परिवहनकर्ता) का होगा तथा इस हेतु वह वैधानिक रूप से भी उत्तरदायी होगा।
- निविदादाता को संस्था से अनुबंध के समय 02 गारंटर भी उपलब्ध कराने होंगे जो परिवहनकर्ता की जमानत लेंगे।
- संस्था द्वारा वाहन की सर्विसिंग, टैक्स, बीमा, फिटनेस एवं टायर का कार्य किया जायेगा एवं क्रमांक-01, 02 में Rs 3,000.00 तक का रिपेयरिंग/मरम्मत का व्यय निविदादाता /परिवहनकर्ता द्वारा प्रतिमाह वहन किया जायेगा।
- एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
- लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में “संस्था वाहन हेतु निविदा”, “मार्ग का नाम” एवं “निविदादाता का नाम” व “पता” स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। स्व-हस्ताक्षरित रंगीन फोटो निविदा फार्म में लगाना अनिवार्य है।
- निविदा, प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) के नाम से निविदा पेट्री के माध्यम से दिनांक 29.05.2025 को अपराह्न 01.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी, जो कि उसी दिन दिनांक 29.05.2025 को अपराह्न 01.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में निविदा कमेटी द्वारा खोली जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।
- निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता द्वारा पैन कार्ड एवं बैंक खाते नम्बर की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स इत्यादि की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।
- प्रत्येक निविदा पत्र का लिफाफा बन्द होना चाहिये। छोटे वाहन (2.5 टन तक) हेतु ₹ 5,000.00 (पांच हजार) रुपया एवं 2.5 टन से उपर ₹10,000 (दस हजार) रुपया बतौर अर्नेस्ट मनी नकद संघ कोषागार में जमा कर मूल रसीद/छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट जो ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, खटीमा (ऊधमसिंहनगर) में देय हो, से भी अर्नेस्ट मनी जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट निविदा

के साथ मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। चैक, एफ.डी.आर. एवं पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा के साथ मान्य नहीं होगी।

13. निविदादाता द्वारा एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
14. निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं संशोधित 2019 के अधीन होगा।
15. निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तों को भलि-भौति पढ़कर हस्ताक्षर करने के उपरान्त स्थायी पता (मोबाईल संख्या) सहित निविदा फार्म में संलग्न करना अनिवार्य है।
16. यू0सी0डी0एफ0 की वेबसाईट www.ucdfaanchal.org से निविदा डाउनलोड की जा सकती है। निविदा फार्म की जमा धनराशि ₹1000.00 की अतिरिक्त रसीद की मूल या छाया प्रति/बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
17. निविदादाता को वाहन के संचालन हेतु डीजल एवं लोडर चार्ज स्वयं वहन करना होगा। जिस मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की कीमत की वसूली का कार्य किया जा रहा है, उन मार्गों पर कार्यरत निविदादाताओं को दैनिक आपूर्ति किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थों की सम्पूर्ण कीमत नियमित रूप से संघ कोषागार में तदतिथि को ही जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, इस हेतु निविदादाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा। तथा किसी भी परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की बिक्री की धनराशि जमा न करने पर मार्ग प्रभारी/प्रभारी विपणन की संस्तुति के आधार पर प्रधान प्रबन्धक को वैधानिक कार्यवाही (आर0सी0 के माध्यम से वसूली कराने एवं वाहन हटाने) का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के वारदाना (केन अथवा क्रेट) को एक/दोनों पालियों में पूर्ण रूप से वापस करने का दायित्व निविदादाता का होगा। क्रेटों की कमी की दशा में कटौती मासिक रूप से सम्बन्धित के भुगतान बिलों से कर ली जायेगी। तदोपरान्त भी क्रेट अथवा केन बकाया होने पर जमानत से वसूली की जायेगी।
19. यह कि दूध एवं दूध पदार्थों की आपूर्ति हेतु निविदादाता को वाहन को संस्था द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार दुग्धशाला में लगानी होगी तथा समय सारिणी के अनुसार ही वाहन लोड करवाकर नगरीय/ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति करनी होगी।
20. प्रत्येक वाहन के लिये चालक/परिचालक की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी तथा इनका पूर्ण विवरण संस्था में देना होगा।
21. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। निविदादाता को जमानत धनराशि संघ कोषागार में पूर्ण रूप में नकद जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत कर लिये जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ मु0100 (एक सौ) मूल्य के नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
22. निविदा फार्म में ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिये। यदि विशेष परिस्थितियों में ओवर राईटिंग करना आवश्यक हो तो पूर्व में लिखी गयी लिपि पर कटिंग कर नीचे लिखकर हस्ताक्षर किये जाये। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।
23. अनुबन्ध की अवधि 01 (एक) वर्ष के लिए होगी। अनुबन्ध समाप्ति तिथि उपरान्त संस्था एवं निविदादाता की आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि तीन-तीन माह हेतु दो बार (अधिकतम 06 माह) बढ़ायी जा सकती है।
24. निविदादाता द्वारा अपने स्टाफ (चालक एवं परिचालक) का ई.पी.एफ. नियमानुसार ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा कराना होगा। जिसका कोई भी उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।
25. निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चालक एवं परिचालक द्वारा मादक पदार्थों के सेवन कर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 05 वर्ष हेतु पृथक कर दिया जायेगा।
26. निविदा स्वीकार होने के उपरान्त निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्र का सदस्य बनना होगा।
27. संस्था को 15 दिन के नोटिस उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा।
28. निविदादाता द्वारा बंद पैकेटों में (अनसोल्ड मिल्क) दूध वापसी कराने पर 50 पैसे प्रति लीटर की दर से कटौती की जायेगी एवं लीकेज दूध किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
29. यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी। जिसे उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम संख्या 2(ग) के अनुसार किसी कर्मचारी के "परिवार का सदस्य" को निम्नवत् परिभाषित किया गया है—

नियम संख्या 2(ग) :-

(1) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी, उसका लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित लड़की या अविवाहित सौतेली लड़की चाहे वह उनके साथ रहता/रहती हो अथवा नहीं, और किसी महिला सरकारी कर्मचारी के सम्बंध में, उसके साथ रहने वाला तथा उस पर आश्रित उसका पति, तथा

(2) कोई भी अन्य व्यक्ति, जो रक्त सम्बंध से या विवाह द्वारा उक्त सरकारी कर्मचारी या सम्बंधी हो या ऐसे सरकारी कर्मचारी की पत्नी का या उसके पति का सम्बंधी हो और जो ऐसे कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी पत्नी या पति सम्मिलित नहीं होगी/सम्मिलित नहीं होगा, जो सरकारी कर्मचारी से विधितः पृथक की गयी हो/पृथक किया गया हो या ऐसा लड़का, सौतेला लड़का, अविवाहित सौतेली लड़की सम्मिलित नहीं होगा, या/सम्मिलित नहीं होगी जो आगे के लिए, किसी भी प्रकार उस पर आश्रित नहीं है या जिसकी अभिरक्षा (बनेजवकल) से सरकारी कर्मचारी को, विधि द्वारा वंचित कर दिया गया हो।

30. ट्रांसपोर्टर (निविदादाता) को प्रतिदिन माल ले जाते समय कन्साइनमेंट नोट डेरी में देना होगा और प्रतिदिन अपनी अकाउंट सेल माल वापसी करते समय डेरी में देना होगा।
31. यदि निविदा कार्यकाल के दौरान शासन द्वारा डीजल की दरों में कमी/वैशी की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रति किमी के वाहनों की दरों का आंकलन कर कमी/वैशी की जायेगी। साथ ही भविष्य में निविदा मार्ग की दूरी के बढ़ने अथवा कम होने पर वास्तविक दूरी का आंकलन कर परिवहनकर्ताओं को पृथक से देय होगा।
32. संस्था के **विपणन अनुभाग** के पूर्व/वर्तमान परिवहनकर्ताओं को निविदा प्रपत्र के साथ अदेयता प्रमाण-पत्र सहायक प्रबन्धक लेखा से प्राप्त कर संलग्न करना होगा, अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न न होने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
33. ट्रांसपोर्ट कैरियर (निविदादाता) को **FSSAI** से सम्बंधित नियम और विनियमन का परिपालन करना पड़ेगा जो कि **FSSAI Act 2006** के नियमानुसार लागू होगा।
34. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक माह के अंदर संस्था को **FSSAI** एवं **GST** का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
35. निविदादाता को संस्था के वाहनों की साफ-सफाई रखनी होगी और साफ-सफाई न रखनी की स्थिति में वाहनों की साफ-सफाई वाहन धुलाई केंद्र से करायी जायेगी, जिसके भुगतान की कटौती निविदादाता से की जायेगी।
36. यह कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की कय वरीयता नीति 2019-शासनादेश सं0 1542/vII-3-19/143-उद्योग/2003 दिनांक 20 अगस्त, 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्सम्बंधी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।
37. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के **प्रधान प्रबन्धक ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)** के पास सुरक्षित होगा।
38. किसी भी प्रकार के विवाद में **निबन्धक, दुग्ध सहकारी समितियाँ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)** का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

नोट—उपरोक्तानुसार निविदा के आवश्यक निर्देश एवं निविदा सम्बंधी मुख्य शर्तों को पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरांत निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

विपणन अनुभाग की प्रकाशित निविदा सूचना के सन्दर्भ में मेरे द्वारा निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देशों एवं शर्तों (सम्पूर्ण निविदा फार्म) को भलि-भौति पढ़ लिया गया है। मैं निविदा की शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार संस्था वाहन के संचालन हेतु **ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)** के साथ अनुबन्ध करने के लिये सहमत हूँ। उपयुक्त पृष्ठियाँ मेने स्वयं भरी/भरवाई हैं, और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जाती हैं, जो संस्था को निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक

नाम:-

पता :-

.....

मोबाईल नम्बर-.....